

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालज : उपखण्ड अधिकारी बांसवाड़ा मुकाम : बांसवाड़ा (राज.)

प्रार्थी श्री. देवा चन्द बनाम अप्रार्थी श्री. मती. जामरी परमार.

किस्म मुकदमा-(प्रार्थना पत्र) 212 R.T.A. प्रकरण संख्या- 11/2021

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
10.2.2024	<p>पत्रावली दर्ज रजिस्टर होकर पेश हुई। प्रार्थी श्री <u>देवा</u>                      पिता <u>मोग्य</u> जाति <u>भूमि</u>                      निवासी <u>अनरपुरा ग.ड. बांसवाड़ा</u> द्वारा                      प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा <u>212 RTA</u> विरुद्ध                      अप्रार्थीगण श्री <u>मती परमार w/o जयशंकर</u>                      जाति <u>मोनी</u> निवासी <u>जड़िकावाड़ी, बांसवाड़ा</u>                      के पेश किया गया। अप्रार्थीगण के नाम नोटिस जारी कर पत्रावली                      दिनांक <u>09-3-2021</u> को पेश हो।</p>	
9-3-2024	<p>ले                      उपखण्ड अधिकारी                      बांसवाड़ा</p> <p><u>पत्रावली पेश की जादीगन वकील उपस्थित प्रार्थी</u>  <u>के नाम जारी नोटिस बाद दायित्व प्राप्त</u>  <u>समय पत्रावली किया। अप्रार्थी श्री</u>  <u>शेखर के मुल बाद से श्री राजशंकर</u>  <u>जैन, श्री अशुराज जैन का कनिशासत्र</u>  <u>पत्र पेश हुआ जबाब हेतु समय</u>  <u>चाहा। पत्रावली वाले जबाब</u>  <u>दिनांक 08-4-2021 को पेश हो।</u></p>	
8-4-2024	<p><u>पत्रावली पेश करुलानु उपस्थित। जबाब पेश करने समय</u>  <u>चापा पत्रावली वाले जबाब दिनांक 07-05-2021</u>  <u>को पेश हो।</u></p>	

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
30/1/17	<p>           की सबल-अंदाजी न तो जुड करने            और न ही किसी अन्य से कवाने            हेतु पाबंद किया जाता है।            निर्णय पृष्ठ से लिखा जाकर            शामिल पत्रोवली है।            पत्रोवली केवल शुमार से नम्बर से            कम ही जाकर राखिल / भूल पाद के            साथ है।            निर्णय लिखा जाकर जो इजलास            पुनामा गया।         </p> <p style="text-align: center;"> <u>प्र</u>            उपखण्ड अधिकारी -            बांसवाड़ा, जिला बांसवाड़ा (राज.)         </p>	